

(एसएलआईसी अधिकारी द्वारा भरा जाए)

यूनितों के आंशिक आहरण के लिए आवेदन

आवेदन संदर्भ नम्बर:

पॉलिसी नम्बर

योजना/उत्पाद का नाम:

पॉलिसीधारक का नाम:

श्री/श्रीमती/मिस

पहला नाम

आंतिम नाम

स्थायी पता:

शहर

राज्य

पिन कोड

सम्पर्क नम्बर

मोबाइल

एसटीडी कोड

घर/ऑफिस

ईमेल आईडी (यदि कोई हो)

★ भुगतान का तरीका:

खाता भुगतान चेक

डिमांड ड्राफ्ट

(V उपयुक्त स्थान पर लगाएं) (डीडी जारी करने के लिए बैंक का प्रभार ऋण राशि से लिया जाएगा)

भुगतान का विवरण:

खाता धारक का नाम

बैंक खाता नम्बर

बैंक का नाम तथा शाखा

★ मैं उपरोक्त विवरणानुसार क्रास चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ और इस फॉर्म में दी गई सम्पूर्ण जानकारी बैंक अकाउंट नम्बर और अन्य विवरणों की पूर्ण जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत जानकारी, बैंक अकाउंट नम्बर (या) अन्य विवरणों के लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी।

★ सेवा आग्रह: ऊपर वर्णित पॉलिसी मालिक होने के नाते, मैं श्रीराम जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड को आंशिक आहरण की राशि रुपये/- (शब्दों में)

के लिए अधिकृत करता/करती हूँ कि पॉलिसी नम्बर 1.....2.....और 3की बची हुई प्रीमियम को पॉलिसी वर्ष: 20.....से 201..... तक का समायोजन कर दें। शेष राशि रुपये

..... के लिए कृपयाकर मुझे उपरोक्त भुगतान तरीके में से किसी एक तरीके का उपयोग करके अकाउंट पेयी चेक/डीडी प्रदान करें।

★ नोट: प्रीमियम को केवल ऊपर दिए गए पॉलिसीधारक की पॉलिसी के प्रति समायोजित किया जाएगा। किसी भी पॉलिसी धारक के परिवार के सदस्यों के प्रति किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।

आंशिक आहरण

★ मैं अपनी पॉलिसी में जमा इकाईयों के आंशिक आहरण के लिए आग्रह करना चाहता/चाहती हूँ जिसकी राशि नीचे दी गई है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि न्यूनतम यूनितों की संख्या जिसकी की राशि रुपये 10,000/- है को निकल सकता/सकती हूँ और यह कि इस आंशिक आहरण के पश्चात् वार्षिक प्रीमियम के बराबर धनराशि मेरी पॉलिसी के फंड में उपलब्ध होनी चाहिए जब तक कि पॉलिसीधारक के द्वारा अगले नवीनीकरण प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।

फंड का नाम	% आहरण		आंशिक आहरण के पश्चात् शेष	
	राशि (रुपये में)	यूनित	राशि (रुपये में)	यूनित
कुल (राशि (रुपये में)/यूनित)				

Note: *पॉलिसीधारक के माध्यम से सभी कॉलमों को उचित तरह से भरा जाना चाहिए।

★ बीमा उत्पाद से जुड़े हुई यूनित पर ही आंशिक आहरण लागू होता है और आहरित राशि पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा।

★ नाबालिगों के द्वारा आंशिक आहरण करने के लिए केवल व्यस्क होने के पश्चात ही अनुमति दी जाएगी और प्रस्तावक के माध्यम से जीवनबीमा का अधिकार को दूसरे को देने के आग्रह को स्वीकार किया जाएगा एवं इसे आधिकारिकतौर पर श्रीराम जीवनबीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा ही किया जाएगा।

★ आंशिक आहरण पॉलिसी दस्तावेजों में किसी पॉलिसी के तहत बताया गया प्रभाव सुनिश्चित राशि/मृत्यु लाभ पर पड़ सकता है।

★ एक बार आंशिक आहरण का आग्रह जमा होने के बाद उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।

★ यदि पॉलिसी दस्तावेजों में अभ्यर्पण शुल्क दिया गया है तो उन्हें पॉलिसी के प्रारम्भ होने की दिनांक से उसकी अवधि के आधार पर इकाईयों को निकालने के लिए लगाया जा सकता है।

★ यदि पॉलिसी से आंशिक आहरण की सेवा का उपयोग करते हुए, न्यूनतम 1 वर्ष का प्रीमियम पॉलिसी में फंड नहीं रखा जाता है तो पॉलिसी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी।

★ पॉलिसी प्रारम्भ करने के मामले में, आंशिक आहरण का आग्रह अभिहस्तांकनकर्ता के द्वारा डिस्चार्ज फार्म में बताए अनुसार सहमति देने पर ही स्वीकार किया जा सकता है।

★ कार्य संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि आंशिक आहरण के लिए आवेदन जमा किया गया है (पॉलिसी बॉन्ड/दस्तावेजों के साथ) तो प्रतिदिन (सोमवार से शुक्रवार) छुट्टी के दिन को छोड़कर, उसी दिन एनएवी लागू होगा। प्रतिदिन 3:00 बजे के बाद जमा होने वाले आवेदनों पर अगले कार्यकारी/व्यवसायिक दिन की यूनित मूल्य को लागू किया जाएगा।

प्रस्तावकर्ता/पॉलिसीधारक के हस्ताक्षर

अभिहस्तांकनकर्ता के हस्ताक्षर (यदि लागू हों)

बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर

जमा किया गया (शाखा का नाम)

(एसएलआईसी अधिकारी द्वारा भरा जाए)

दिनांक: ___/___/___

समय: ___:___

अधीकृत शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर _____

DD / MM / YYYY

H H M M

यूनितों के आंशिक आहरण आवेदन की पावती:

पॉलिसी नम्बर:

शाखा में जमा किया गया:

कार्यालय की मुहर एवं सील (समय एवं दिनांक के साथ)

पॉलिसी धारक का नाम: _____

आंशिक निकासी के लिए आवेदन

:

यूनित(या)रुपये

/- योजना:

दिनांक: ___/___/___

समय: ___:___


___:___

प्राप्तकर्ता: _____

DD / MM / YYYY

H H M M

(अधिकृत आधिकारिक हस्ताक्षर)



आंशिक निकासी दर

पॉलिसी नम्बर: _____ और पॉलिसी नाम: _____

*दिनांक: ___/___/_____ को आंशिक निकासी के लिए उपलब्ध फंड मूल्य और यूनिट:

फंड का नाम	निकालने के लिए उपलब्ध यूनिटों की कुल संख्या	आंशिक निकासी के लिए उपलब्ध राशि (रुपयों में)
फंड का नाम और फंड से लिक योजना	फंड - 1	
संरक्षक - (श्री प्लस (आर) / श्री प्लस एसपी / श्री विश्राम)		
संरक्षक गोल्ड - (श्री लाम प्लस / श्री विद्या प्लस)		
संरक्षक प्लेटिनम - (श्री लाइफ प्लस)		
डायनमिक - (श्री विश्राम)		
गार्जियन - (श्री प्लस (आर) / श्री प्लस एसपी / श्री विश्राम)		
मैक्सिमस - (श्री प्लस (आर) / श्री प्लस एसपी / श्री विश्राम)		
मैक्सिमस गोल्ड - (श्री लाम प्लस / श्री विद्या प्लस)		
रक्षक - (श्री विकास)		
धन निर्माता - (श्री विकास)		
कुल		

➤ पॉलिसी फंड को स्थिर रखने के लिए न्यूनतम फंड राशि: रुपये:...../— (यह एक वर्ष के वार्षिक प्रीमियम राशि से बढ़कर या उसके बराबर होनी चाहिए।)

स्मरण रखने योग्य बिन्दु:

- 1 - कुल संख्या: पॉलिसी फंड में कुल यूनिटों की संख्या केवल एक सूचक हैं और आवेदन की दिनांक और पॉलिसी की अगले माह की जारी दिनांक के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
- 2 - कुल फंड मूल्य (या) आंशिक आहरण के लिए मौजूद राशि केवल एक सूचक हैं और दिनांक और एनएवी के अनुसार बदलती रहती हैं, आंशिक आहरण आवेदन शाखा/डीओ में जमा की जानी चाहिए।
- 3 - आपके प्रतिवर्ष के वार्षिक प्रीमियम के अलावा अपनी पॉलिसी फंड में उचित राशि को रखें, ताकि पॉलिसी को चलाया जा सकते और हमें आपकी पॉलिसी पर जीवन कवर को बनाए रखने की अनुमति मिल पाए।
- 4 - आंशिक आहरण का आग्रह निर्धारित राशि या निर्धारित यूनिटों की संख्या के स्वरूप में आग्रहित की जा सकती है। आप नीचे दिए गए किसी भी एक पी/डब्ल्यू का विकल्प चुन सकते हैं।
 - ★ राशि (रुपयों में - सौ के पास समाप्त करना)।
 - ★ आवेदन की दिनांक पर इकाईयों की संख्या। यदि आपने इकाईयों की संख्या को चाहा है, तो पी/डब्ल्यू कोटेशन जारी दिनांक और आंशिक आहरण का आवेदन जमा की दिनांक से राशि भिन्न हो सकती है।
- 5 - नाबालिकों के लिए आंशिक आहरण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हालांकि पॉलिसी ने जारी दिनांक से अभी तक 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, परन्तु उन्हें व्यस्कता प्राप्त करनी होगी।
- 6 - हमारी किसी भी शाखा पर आवेदन पत्र उचित तरीके से भर कर 3:00 बजे के पहले जमा किया जाना चाहिए। 3:00 बजे के बाद जमा किए जाने वाले आवेदनों को अगले कार्यदिवस को किया जाएगा और एनएवी के साथ प्रारम्भ की जाने वाली तिथि के साथ किया जाएगा।
- 7 - आंशिक आहरण के आवेदन के साथ, पॉलिसीधारक को पॉलिसी बॉर्ड को प्रक्रिया और मुहरीकरण के लिए अवश्य ही जमा किया जाना चाहिए। आंशिक आहरण के आवेदन को तभी प्रक्रिया के योग्य समझा जाएगा जब इसे मूल पॉलिसी बॉर्ड/दस्तावेज के साथ जमा किया जाएगा।

 दिनांक: ___/___/_____
 DD/MM/YYYY

 हस्ताक्षरकर्ता: _____
 (अधिकृत आधिकारिक हस्ताक्षर)